

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक
खनिज भवन सिविल लाईन टोंक
दूरभाष नं. 01432-247640 email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- सखअ/टोंक/निविदा/2020/40

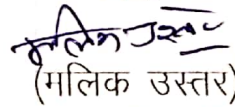
दिनांक :- 02/07/2020

निदेशक,
निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सचिवालय राजस्थान, जयपुर।

विषय :- जब्तशुदा खनिज बजरी की सार्वजनिक निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।
महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला टोंक की विभिन्न तहसीलों के अन्तर्गत
जब्तशुदा बजरी स्टॉकों की निलामी विक्रय हेतु बजरी स्टॉक विवरण निम्नानुसार है-

- 1 जिला टोंक की तहसील निवाई में निवाई बोली मार्ग पर राजस्व ग्राम जामडोली करीरिया की राजस्व सीमा में स्थित सडक किनारे स्थित खेतों में खसरा संख्या 86 एवं 106, 134/2 में कुल जब्तशुदा खनिज बजरी की मात्रा लगभग 336 टन
- 2 जिला टोंक की तहसील पीपलू के राजस्व ग्राम नानेर एवं रहीपुरा में निजी खातेदारी भू एवं चारागाह क्षेत्र में अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 1260 टन जब्तशुदा बजरी स्टॉक जब्तशुदा अवैध बजरी स्टॉक
- 3 जिला टोंक की तहसील निवाई में स्थित राजस्व ग्राम बहड में अलग अलग ढेरियों में जब्तशुदा खनिज बजरी लगभग 2400 टन जब्तशुदा अवैध बजरी स्टॉक

उक्त जब्तशुदा बजरी स्टॉक की सार्वजनिक, निविदाए, आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति 8 आठ प्रतियों में मय सॉफ्टकापी संलग्न कर एक राज्य स्तरीय एवं एक जिलास्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(मलिक उस्तर) 27/7/2020
सहायक खनि अभियन्ता
टोंक

क्रमांक सखअ/जय/निविदा/2020/41-52

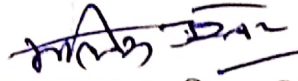
दिनांक 2/7/2020

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर टोंक।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक टोंक
3. श्रीमान निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर।

वित्तीय सलाहकार, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को निवेदन है कि नियमानुसार उचित लेखाधिकारी निविदा के निस्तारण हेतु नियत तिथी को उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

5. नोडल अधिकारी डी एम जी ओ एम एस, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर क्षेत्र, जयपुर।
7. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त, जयपुर।
8. श्रीमान तहसीलदार महोदय, टोंक/निवाई/पीपलू/मालपुरा/टोडारायसिंह/देवली/उनियारा
9. श्रीमान खनि अभियन्ता, जयपुर।
10. श्रीमान जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी को निलामी प्रचार प्रसार एवं प्रकाशन हेतु।
11. श्रीमान जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
12. कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय हाजा।


सहायक खनि अभियन्ता
टोंक

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक
 खनिज भवन सिविल लाईन टोंक
 दूरभाष नं. 01432-247640 email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांक- सखअ/टोंक/निविदा/2020/53

दिनांक :- 21/7/2020

जिला टोंक विभिन्न तहसीलों के अन्तर्गत जव्त्शुदा बजरी स्टॉकों की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे दिनांक 21 जुलाई 2020 (सायंकाल 2.00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. 01 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2020 को सायंकाल: 4.00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर -1 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	स्थान का विवरण जहां जप्त बजरी पड़ी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/ अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रु.)
1	जिला टोंक की तहसील निवाई में निवाई बोली मार्ग पर राजस्व ग्राम जामडोली करीरिया की राजस्व सीमा में स्थित सडक किनारे स्थित खेतों में खसरा संख्या 86 एवं 106, 134/2 में कुल जव्त्शुदा खनिज बजरी की मात्रा लगभग 336 टन	336	18480	184800
2	जिला टोंक की तहसील पीपलू के राजस्व ग्राम नानेर एवं रहीपुरा में निजी खातेदारी भू एवं चारागाह क्षेत्र में अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 1260 टन जव्त्शुदा बजरी स्टॉक जव्त्शुदा अवैध बजरी स्टॉक	1260	69300	693000
3	जिला टोंक की तहसील निवाई में स्थित राजस्व ग्राम बहड में अलग अलग ढेरियों में जव्त्शुदा खनिज बजरी लगभग 2400 टन जव्त्शुदा अवैध बजरी स्टॉक	2400	132000	1320000

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

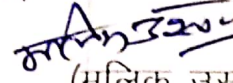
1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से क्षेत्र का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएं कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक खनिज भवन, सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. 01 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 21 जुलाई 2020 (सायंकाल 2.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानता राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो सहायक खनि अभियन्ता, टोंक के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।

4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में मौके पर जाकर की जा सकती है।
5. जप्तशुदा बजरी मौके पर जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2020 को सायंकाल 4:00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 01 में खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से नियत समायावधि में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुखधारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. सफलतम बोली दाता को परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनो में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनो की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनो के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को Whats App पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिको द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनो की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बन्धित ऊपर अंकित को Whats App पर भेजने के पश्चात ही वाहनो को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण / परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो वाहनो की तोल पर्चियाँ एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
19. स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा। और इस म्बन्ध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनो के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनो के अतिरिक्त अन्य वाहनो से अनुमत नहीं होगा।

खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।

22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनो को प्राथकिता दी जावेगी।

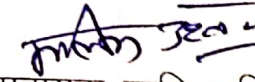
 27/06/20
(मलिक उस्तर)

सहायक खनि अभियन्ता टोक
दिनांक :

क्रमांक:- सखअ/टोंक/नीलामी/2019/54-59

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक को मिटिंग दिनांक 6.3.2020 एवं 05.06.2020 के निर्देशो की पालना में।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर।
6. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

 27/06/20
सहायक खनि अभियन्ता टोंक

क्रमांक:- सखअ/टोंक/निविदा/2020/60

दिनांक :-

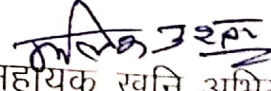
नीलामी सूचना प्रकाशन 02/2020-21

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला टोंक की विभिन्न तहसीलों के अन्तर्गत जब्तशुदा बजरी स्टॉकों की नीलामी विक्रय हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदाएं दरे आमन्त्रित की जाती हैं। स्टोक विवरण निम्नानुसार है-

- 1 जिला टोंक की तहसील निवाई में निवाई बोली मार्ग पर राजस्व ग्राम जामडोली करीरिया की राजस्व सीमा में स्थित सडक किनारे स्थित खेतों में खसरा संख्या 86 एवं 106, 134/2 में कुल जब्तशुदा खनिज बजरी की मात्रा लगभग 336 टन
- 2 जिला टोंक की तहसील पीपलू के राजस्व ग्राम नानेर एवं रहीपुरा में निजी खातेदारी भू एवं चारागाह क्षेत्र में अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 1260 टन जब्तशुदा बजरी स्टॉक जब्तशुदा अवैध बजरी स्टॉक
- 3 जिला टोंक की तहसील निवाई में स्थित राजस्व ग्राम बहड में अलग अलग ढेरियों में जब्तशुदा खनिज बजरी लगभग 2400 टन जब्तशुदा अवैध बजरी स्टॉक

उक्त जब्तशुदा बजरी स्टॉक की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे आमन्त्रित की जाती हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रु. 1,000/- का डी.डी./बैंकर्स चैक "सहायक खनि अभियन्ता, टोंक" के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 21 जुलाई 2020 (दोपहर 12.00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उक्त जब्तशुदा खनिज बजरी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें दिनांक 21 जुलाई 2020 (सायंकाल 2.00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा 21 जुलाई 2020 को सायंकाल 4:00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष खोली जायेगी, नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एवं नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।


सहायक खनि अभियन्ता टोंक